**(वाद संख्या–4834/17)**

30.08.2019

परिवादी, गौरव गुलाटी अनुपस्थित है।

प्रस्तुत मामला भारत के संविधान व राष्ट्रीय गौरव का उल्लंघन कर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा 'सुकमा के शहीदों' को अपमानित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर आयोग को उपलब्ध कराया गया है। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद–पत्र में माननीय मुख्यमंत्री के परिभ्रमण के संदर्भ में जिस सी0डी0 का उल्लेख किया गया है, वह सी0डी0 पत्र के साथ अनुलग्नित नहीं है और न ही परिवाद–पत्र में घटना की तिथि का ही उल्लेख है। पुलिस का कथन है कि बिना घटना तिथि व सी0डी0 के परिवाद–पत्र पर प्रतिवेदन दिया जाना संभव नहीं है।

तत्पश्चात्, आयोग द्वारा दो–दो बार श्री गौरव गुलाटी के नई दिल्ली स्थित पते पर आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। गत तिथि दिनांक–25.04.2019 को परिवादी को नोटिस भेजते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि अगर आज वे आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होंगे तो, प्रस्तुत मामले को बंद कर दिया जाएगा। आज परिवादी अनुपस्थित हैं।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत संचिका को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**

<u>सहायक निबंधक</u>